

**न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली**

पीठासीन अधिकारी : डॉ० भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 11/2025 G.C.M.S. No. 2025/198 दर्ज दिनांक : 08.01.2025  
अपीलार्थिगणः

1. प्रेमचंद पुत्र सीमाराम, जाति माली, उम्र 70 वर्ष, निवासी बेरा तेजसागर, नेहड़ा बेरा, सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली।

**बनाम**

प्रत्यर्थिगणः

1. नेमाराम पुत्र सीमाराम, जाति माली, उम्र 65 वर्ष, निवासी बेरा तेजसागर, नेहड़ा बेरा, सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली।
2. मांगीलाल पुत्र कानाराम, जाति माली, उम्र 80 वर्ष, निवासी बेरा तेजसागर, नेहड़ा बेरा, सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली।
3. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील सोजत, जिला पाली।

राजस्व अपील संख्या : 29/2025 G.C.M.S. No. 2025/26 दर्ज दिनांक : 07.02.2025  
अपीलार्थिगणः

1. मांगीलाल पुत्र कानाराम, जाति माली, उम्र 80 वर्ष, निवासी बेरा तेजसागर, नेहड़ा बेरा, सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली।

**बनाम**

प्रत्यर्थिगणः

1. नेमाराम पुत्र सीमाराम, जाति माली, उम्र 65 वर्ष, निवासी बेरा तेजसागर, नेहड़ा बेरा, सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली।
2. प्रेमचंद पुत्र सीमाराम, जाति माली, उम्र 70 वर्ष, निवासी बेरा तेजसागर, नेहड़ा बेरा, सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली।
3. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील सोजत, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 60/2016 बअनवान नेमाराम बनाम प्रेमचंद वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकारः—

1. श्री धर्मीचंद देवासी, विद्वान अभिभाषक अपीलांत।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

**निर्णय**

दिनांक: 04.06.2025

अपीलान्ट्स की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व

वाद संख्या 60/2016 बअनवान नेमाराम बनाम प्रेमचंद वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

दिनांक 16.10.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। चूंकि दोनों अपील एक ही निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अतः प्रकरण में निर्णय में समरूपता रहे, अतः दोनों अपील एकसाथ संयोजित की जाकर एकसाथ निर्णित की जा रही हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

यह कि रैस्पोंडेंट/वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रैस्पोंडेंट/प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर सरहद मौजा सोजत चक संख्या दो तहसील सोजत में रैस्पोंडेंट/वादी की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा व मालिकाना हक की कृषि भूमि खसरा संख्या 2720 रकबा 0.5500 हैक्टेयर कुल खसरा 2 रकबा 1.0100 हैक्टेयर के संबंध में बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि सर्वथा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। मातहत अदालत के द्वारा दिनांक 10.07.2017 को विधि विरुद्ध तरीके से प्राथमिक डिक्री पारित की। क्योंकि अपीलान्त/प्रतिवादी के द्वारा वादी के विरुद्ध प्रतिदावा प्रस्तुत कर रखा है, जिसका जवाब भी रैस्पोंडेंट वादी ने पेश नहीं किया है तथा मातहत अदालत ने मनमाने तरीके से दिनांक 17.07.2017 को तहसीलदार के तामिल हुए बिना ही आदेश जारी कर दिया। बल्कि तनकीयात कायम कर साक्ष्य रेकॉर्ड पर लेकर ही निर्णय पारित किया जा सकता है। उसके बावजूद भी अपीलान्त/प्रतिवादी की सहमति के बिना बाले-बाले प्राथमिक डिक्री पारित कर भारी भूल की हैं। पत्रावली पर पूर्व तहसीलदार दीपक सांखला की मौका फर्द है। जिस पर पटवारी, आर.आई, तहसीलदार किसी के हस्ताक्षर नहीं है। इसके अलावा अन्य कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं होते हुए भी मनमाने तरीके से निर्णय/डिक्री पारित की गई हैं, जो अपास्त किए जाने योग्य है। मातहत अदालत की पत्रावली पर कहीं पर सहमति व वाद डिक्री करने हेतु हस्ताक्षर आदेशिका पर नहीं है। अपीलान्त/प्रतिवादी को बिना सुने ही डिक्री पारित की हैं तथा काउण्टर वाद के सम्बंध में भी किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मातहत अदालत के द्वारा अपीलान्त/प्रतिवादी को सुने बिना ही मनमाने तरीके से दिनांक 16.10.2024 को विधि विरुद्ध निर्णय व डिक्री कर दिया, जिसकी सूचना भी नहीं दी गई। जबकि प्रतिदावा पर निर्णय आज भी लंबित है। अपीलान्त के द्वारा जब ऑनलाइन जमाबंदी प्राप्त की तो सम्पूर्ण जानकारी दिनांक 30.12.2024 को प्रथम बार हुई तथा दिनांक 30.12.2024 को ही नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया, जिसकी नकल दिनांक 31.12.2024 को प्राप्त हुई तथा शीतकालीन अवकाश हुए। जिसके कारण अपील में सद्भाविक देरी हुई, इसलिए यह अपील धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के



राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

साथ श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट्स के विरुद्ध वादग्रस्त सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2024 को निर्णित व अंतिम डिक्री किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलांट्स द्वारा अपील संख्या 11 दिनांक 07.01.2025 को एवं अपील संख्या 29 दिनांक 07.02.2025 को प्रस्तुत की गई। जोकि क्रमशः 22 दिवस व एक माह 22 दिवस के विलंब के साथ प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि अपीलांट्स वृद्ध व्यक्ति है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की उन्हें समय पर जानकारी नहीं हो पाई। दिनांक 30.12.2024 को ऑनलाईन जमाबंदी देखने व द्वितीय अपीलांट को दिनांक 27.01.2025 को रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा मौके पर आकर अपीलांट को बेदखल करने की धमकी देने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अल्प विलंब निहित है। साथ ही अपीलांट द्वारा जानबूझकर या लापरवाही से विलंब कारित किया जाना साबित नहीं होता है। साथ ही हमारे विनम्र मत में प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। अतः विलंबकाल युक्तियुक्त व सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. अपीलांट्स द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि प्रकरण में तहसीलदार सोजत द्वारा अपीलांट्स को सूचित किए बिना व अपीलांट्स की गैर-मौजूदगी में मौके पर गए बिना विमाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया।


राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर त्रुटि कारित की हैं। अतः अपील अपीलांत स्वीकार फरमावें।

4. अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार सोजत द्वारा प्रकरण में सहखातेदारान को मौके पर उपस्थित रहने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किए गए। विभाजन प्रस्ताव में अंकित नोटिस क्रमांक एवं दिनांक का स्थान रिक्त छोड़ा हुआ है। इससे यह पुष्टि होती है कि तहसीलदार द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांतस सहखातेदारान को मौके पर उपस्थित होने बाबत निर्धारित स्थान व समय से अवगत कराने के लिए कोई सूचना जारी नहीं की गई। विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी की अनुपस्थिति का अंकन है तथा केवल वादी के हस्ताक्षर है।
5. राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों एवं विहित प्रारूप के अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा सभी संबंधित सहखातेदारान को सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर मौके पर ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर विहित प्रारूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय तहसीलदार सोजत द्वारा आज्ञापक विधिक प्रावधानों व निर्देशों की अनुपालना नहीं की गई है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित करते समय उक्त महत्वपूर्ण बिंदु पर गौर नहीं कर कानूनन भूल की हैं। अतः हमारे विनम्र मत में ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं हैं।
6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांत बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण में तहसीलदार सोजत से नियमानुसार पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया जाकर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

### आदेश


अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांतस अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 60/2016 बअनवान नेमाराम बनाम प्रेमचंद वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2024 को अपास्त करते हुए

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्राथमिक डिफ्री की अनुपालना में तहसीलदार सोजत द्वारा सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 14.07.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अमिलेख लौटाया जावें। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों अपील पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावें। दोनों पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से दो कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।



  
(डॉ० मास्कर बिश्नोई)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली